रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052023-245981
CG-DL-E-22052023-245981

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2144] नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 2023/ज्येष्ठ 1, 1945
No. 2144] NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 2023/JYAISHTHA 1, 1945

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 22 मई, 2023

का.आ. 2238(अ).—केन्द्रीय सरकार ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 16 नवंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2786 (अ) के अधीन महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात "न्यायाधिकरण" कहा गया है) का गठन किया, जिससे गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय नदी महादयी (जिसे स्थानीय भाषा में मादेयी नदी या नदी महदेई या मंडोवी नदी आदि के रूप में भी जाना जाता है) और नदी घाटी से संबंधित जल विवाद पर निर्णय लिया जा सके;

और न्यायाधिकरण ने इससे संदर्भित मामलों की जांच की और 14 अगस्त, 2018 को अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपना निर्णय देते हुए केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की;

और पक्षकार राज्यों अर्थात् गोवा राज्य, कर्नाटक राज्य और महाराष्ट्र राज्य ने अधिकरण की उक्त रिपोर्ट के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में क्रमशः विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 19312/2019, 33018/2018 और 32517/2018फाइल की;

और 2018 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 33018 में कर्नाटक राज्य द्वारा दायर 2019 के अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 109720 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ को महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण के तारीख14 अगस्त,

2018 के पंचाट को प्रकाशित करने का निर्देश जारी किया, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने 20 फरवरी 2020 (लंबित कार्यवाही के परिणाम के अध्यधीन) के आदेश के माध्यम से अनुमति दी;

और अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने 27 फरवरी, 2020 को अधिसूचना संख्या का.आ. 888(अ) के अधीन न्यायाधिकरण के उक्त पंचाट को प्रकाशित किया;

अतः अब, अधिनियम की धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अन्य बातों के साथ-साथ महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण के तारीख 14 अगस्त, 2018 के निर्णयों को प्रभावी बनाने हेतु महादयी प्रवाह (प्रोग्रेसिव रिवर अथॉरिटी फॉर वेलफेयर एंड हार्मोनी) (जिसे इसमें इसके पश्चात "प्राधिकरण" कहा गया है) का गठन करने की योजना बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-** (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम महादयी जल प्रबंधन योजना, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी।

2. **प्राधिकरण का गठन- महादयी प्रवाह** नाम से एक प्राधिकरण होगा।

3. (1) प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा जिसके पास निरंतर उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुहर होगी और वह वाद ला सकेगा और उस परवाद लाया जा सकेगा।

(2) प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(क) **अध्यक्ष (पूर्णकालिक स्वतंत्र):** केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवारत अधिकारियों में से अधिकतम तीन वर्षतक की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा-

(i) जो उच्च प्रशासनिक श्रेणी (एचएजी) के स्तर के केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा (सीडब्ल्यूईएस) संवर्ग से अभियंताहो अथवा सदस्य केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के वेतन मैट्रिक्स के स्तर-15 (₹1,82,200-2,24,100 रुपए) का हो; और

(ii) जल संसाधन योजना या जल विज्ञान या पर्यावरणीय मामलों या जल संसाधन परियोजनाओं या योजनाओं की निगरानी और विनियमन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव के साथ एक ज्येष्ठ और प्रतिष्ठित अभियंता हो;

(ख) **तीन (पूर्णकालिक स्वतंत्र प्रभार) सदस्य :** केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवारत अधिकारियों में से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किएं जाएंगे, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

(i) **सदस्य (पर्यावरणीय मामले):** ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी) या वेतन मैट्रिक्स के स्तर -14 (₹1,44,200-1,99,600) में मुख्य अभियंता स्तर का एक अधिकारी;

(ii) **सदस्य (जल विज्ञान):** ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी) या वेतन मैट्रिक्स के स्तर -14 (₹1,44,200-1,99,600) में मुख्य अभियंता स्तर का एक अधिकारी;

(iii) **सदस्य (निगरानी और विनियमन मामले):** ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी) या वेतन मैट्रिक्स के स्तर -14 (₹1,44,200-1,99,600) में मुख्य अभियंता स्तर का एक अधिकारी;

(ग) **पक्षकार राज्यों के तीन अंशकालिक सदस्य:** गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य सरकार से एक-एक प्रतिनिधि जो कम से कम जल संसाधन विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ या मुख्य अभियंता या अपर मुख्य अभियंता के स्तर से कम न हो, संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

4. **प्राधिकरण का सचिव-** प्राधिकरण में एक पूर्णकालिक सचिव होगा, जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (₹ 1,23,100-2,15,900) में अधीक्षण अभियंता या निदेशक के स्तर का अधिकारी होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसे आगे दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। न तो यह प्राधिकरण का सदस्य होगा और न ही किसी पक्षकार राज्य से संबंधित होगा और उसके पास मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा।

5. **प्राधिकरण का निदेशक (वित्त) -** प्राधिकरण में एक पूर्णकालिक निदेशक (वित्त) होगा, जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (₹ 1,23,100-2,15,900) का अधिकारी होगा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। न तो यह प्राधिकरण का सदस्य होगा और न ही किसी पक्षकार राज्य से संबंधित होगा और उसके पास मतदान कोई अधिकार नहीं होगा।

6. (1) **गणपूर्ति और मतदान** - पांच सदस्यों की एक गणपूर्ति होगी और प्राधिकरण के कारबार का संव्यवहार करने के लिए बहुमत की सहमति आवश्यक होगी, केवल ऐसे कारबार को छोड़कर जिसे प्राधिकरण समय-समय पर नेमी कारबार रूप में निर्धारित करे।

(2) प्राधिकरण ऐसे किसी कारबारको नेमी रूप से निर्धारित नहीं करेगा जिसमें किन्हीं दो राज्यों के हितों में टकराव की संभावना हो।

(3) नेमी कारबार के संचालन में, तीन सदस्यों की गणपूर्ति होगी और प्राधिकरण के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, पैरा 7 के उप-पैरा (4) में निर्दिष्ट ज्येष्ठ स्वतंत्र प्रभार सदस्य बैठक में अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, जिसके पास वोट का अधिकार होगा एवं वोटों की समानता की स्थिति में निर्णायक वोट दे सकेगा।

(4) उप-पैरा (1) से (3) के अधीन, सदस्यों के पास समान शक्तियां रहेंगी।

7. **सदस्यों की रिक्ति** — (1) चार स्वतंत्र सदस्यों में से कोई पद रिक्त होने पर, केन्द्रीय सरकार ऐसे रिक्त पद के लिए पैरा 3 के उप-पैरा (2) के खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट संबंधित अर्हताओं वाले अधिकारी की नियुक्ति करेगी।

(2) तीन अंशकालिक सदस्यों के पद पर रिक्ति होने पर, संबंधित राज्य सरकार, जिसके द्वारा सदस्य नियुक्त किया गया था, रिक्त पद को पैरा 3 के उप-पैरा (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट स्तर तक के किसी योग्य अधिकारी को नियुक्त करेगी।

(3) किसी सदस्य के बीमार होने या अनुपस्थित रहने की स्थिति में या किसी भी कारण से, केन्द्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार, जिसके द्वारा सदस्य की नियुक्ति की गई थी, पैरा 3 में यथा विनिर्दिष्ट योग्यता वाले अधिकारी को कार्यवाहक सदस्य के रूप में नियुक्त करेगी और ऐसे कार्यवाहक सदस्य के पास ऐसे कार्यों को करते समय, सभी शक्तियां होंगी और ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा जो उस सदस्य के कर्तव्य और क्षतिपूर्ति के हकदार हों, जिसके स्थान पर वह कार्य करता है।

(4) प्राधिकरण के अध्यक्ष के बीमार होने या अनुपस्थित होने की स्थिति में, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अगला ज्येष्ठ स्वतंत्र प्रभार वाला सदस्य, और न कि कार्यवाहक सदस्य, प्राधिकरण की कार्यात्मक बैठक में या प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में में कार्य करेगा।

8. **प्राधिकरण द्वारा कार्य का निपटान**— (1) उप-पैरा (2) में निहित उपबंधों के अधीन, प्राधिकरण अपने समक्ष किसी भी मामले का निपटान या तो परिचालन द्वारा या बैठक आयोजित करके करेगा: बशर्ते कि प्राधिकरण के किसी भी सदस्य के द्वारा ऐसा चाहे जाने पर मामले का निपटान परिचालन द्वारा नहीं बल्कि बैठक में किया जाना आवश्यक होगा।

(2) प्राधिकरण, बैठक में दर्ज निम्नलिखित मामलों पर अपने निर्णय को एक संकल्प द्वारा रिकार्ड करेगा, जिसमें अध्यक्ष और पक्षकार राज्यों के सदस्यों सहित सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे:-

(क) कार्य संचालन नियमों को तैयार करना;

(ख) प्राधिकरण के किसी सदस्य या सचिव या किसी अधिकारी को कार्यों का प्रत्यायोजन;

(ग) प्राधिकरण के कार्य के किसी भाग को औपचारिक या नेमी प्रकृति के रूप में वर्गीकृत करना; और

(घ) कोई अन्य मामला, जिसमें तीन पक्षकार राज्यों में से किसी एक के लिए अपेक्षित हो कि इसका निर्णय उस बैठक में किया जाएगा जहां पक्षकार राज्यों के सभी सदस्य उपस्थित हों।

(3) यदि उप-पैरा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विशेष मामले का निपटान पक्षकार राज्यों से एक या अधिक सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण दो सफल बैठकों में नहीं किया जाता है,तो उसका निपटान पैरा 6 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(4) प्राधिकरण का अध्यक्ष द्वारा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय जल आयोग, विश्वविद्यालयों या किसी अन्य केंद्रीय या राज्य एजेंसी के प्रतिनिधियों को विशेष आमंत्रिती के रूप में इस योजना के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने में प्राधिकरण की बैठकों में भाग लेने के लिए या अन्यथा आमंत्रित कर सकता हैं।

(5) पूर्वगामी उपबंधों के अध्यधीन, प्राधिकरण अपने कार्य संचालन के लिए अपने स्वयं के नियम बनाएगा।

(6) प्राधिकरण अपनी सभी कार्यवाहियों के उचित कार्यवृत्त या रिकॉर्ड को स्थायी रिकॉर्ड के रूप में रखेगा।

9. सदस्यों की क्षतिपूर्ति- प्राधिकरण का कोई भी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित से होने वाले नुकसान, हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा:—

(क) ऐसे सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी द्वारा स्पष्ट प्राधिकार या आदेशों के अधीन सद्भाव पूर्वक और दुर्भावना के बिनाकी गई किसी कार्रवाई, भले ही ऐसी किसी कार्रवाई बाद में अनधिकृत निर्धारित की गई हो; या

(ख) प्राधिकरण द्वारा नियोजित और ऐसे सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के अधीन सेवारत किसी अन्य व्यक्ति की असावधानीपूर्वक या गलत कार्य या चूक, जब तक कि सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी ऐसे अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करने में सम्यक सावधानी रखने में या उसके कार्य के पर्यवेक्षण करने में विफल न हो।

10. प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी—(1) प्राधिकरण, समय-समय पर ऐसे और इतने अधिकारियों और कर्मचारियों को, जैसा वह उचित समझे, नियुक्त या नियोजित कर सकता है और केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन और पदच्युत पर लागू नियमों और विनियमों के अंतर्गत उन्हें हटा या बर्खास्त कर सकता है।

(2) पक्षकार राज्यों की सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को प्राधिकरण द्वारा ऐसे अनुपात में नियुक्त या नियोजित किया जा सकता है जैसा प्राधिकरण उचित समझे और प्राधिकरण संबंधित राज्य सरकारों में नियोजित व्यक्तियों की सेवाओं को प्राधिकरण के साथ पूर्णकालिक रोजगार या प्राधिकरण के किसी भी काम या सेवाओं के निष्पादन हेतु, नियोजित व्यक्तियों की राज्य सरकार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।

(3) प्राधिकरण समूह 'क' [वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (₹ 1,23,100-2,15,900) तक के पद], समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों की सीधी भर्ती भी कर सकता है या केन्द्रीय सरकार से आवश्यकता अनुसार पदों को प्राप्त कर सकता है, जो इस प्रकार से प्राधिकरण के एकमात्र नियंत्रण के अधीन होंगे और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों या राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू वेतनमान और अन्य सेवा शर्तें, जैसा भी मामला हो, के अनुसार लागू होंगे।

(4) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के वर्तमान नियमों या अनुदेशों के अनुसार आवासीय निवास, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता और चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि के संबंध में ऐसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमन करने के लिए विनियम बनाएगा।

11. प्रशासनिक और क्षेत्र संगठन लागत— (1) प्राधिकरण का मुख्यालय पणजी, गोवा में होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण की स्थापना और कामकाज के लिए पांच करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान देगी, जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में, पक्षकार राज्यों से योगदान प्राप्त होने के बाद प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को की जाएगी।

(3) प्राधिकरण के सभी व्यय (वेतन और अन्य खर्चों सहित) गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों द्वारा समान अनुपात में वहन किए जाएंगे।

(4) किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य से संबंधित व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(5) प्रत्येक राज्य के लिए गेजिंग और अन्य हाइड्रोलॉजिकल प्रणालियों या स्टेशनों के रखरखाव, संचालन और नियंत्रण और आंकड़ों के संप्रेषण के लिए दूरसंचार प्रणालियों की लागत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी।

(6) भंडारणों, विद्युत संस्थापनाओं, डाइवर्जन कार्यों, हैडवर्क, नहर नेटवर्कों आदि के निर्माण और रखरखाव की लागत पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जिसके क्षेत्र में कार्य स्थित है।

12. प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य—(1) प्राधिकरण, महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय के अनुपालन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक, पर्याप्त और वांछनीय कोई भी कार्य या सभी कार्य करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित कार्यवाही के परिणाम के अधीन, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्य करेगा, जो निम्नलिखित के संबंध मेंहै:

(क) महादयी नदी जल का भंडारण, वितरण, विनियमन और नियंत्रण;

(ख) महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण के निदेशानुसार महादयी बेसिन से निकलने वाले जल को विनियमित करना;

(ग) महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण के आदेश या निर्देश के कार्यान्वयन और कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक कोई अन्य मामला;

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी कार्यों की व्यापकता पर पूर्वाग्रह से रहित, प्राधिकरण, अन्य बातों के साथ-साथ-

(i) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा या तीन राज्य सरकारों द्वारा पहले से स्थापित स्थलों या स्वयं द्वारा या किसी अनुमोदित एजेंसी के माध्यम से स्थापित किए जाने वाले स्थलों के आंकड़ों का उपयोग करना;

(ii) सभी स्टेशनों पर, जहां इसे आवश्यक समझा जाए, महादयी जल को अन्य में मोड़ना और अन्य नदियों से महादयी बेसिन में जल का डाइवर्जन सहित महादयी नदी के प्रवाह का रिकार्ड रखना;

(iii) संबंधित सभी तीन राज्यों से जल संबंधी सभी आंकड़े, विशेषकर प्रत्येक मौसम में महादायी के जल द्वारा सिंचित क्षेत्रों के आंकड़े, सिंचाई, घरेलू, नगरपालिका, औद्योगिक या किसी अन्य प्रयोजन के लिए निकाले गए और विभिन्न परियोजनाओं या स्कीमों से नदी में गिरने वाले जल से संबंधित आंकड़े एकत्र करना;

(iv) एक जल वर्ष अर्थात् 1 जून से 31 मई तक महादयी नदी और इसकी सहायक नदियों में बहने वाले जल की मात्रा का निर्धारण करना और जल वर्ष पुस्तकें तैयार करना; और

(v) समय-समय पर प्रत्येक राज्य द्वारा अपने जलाशयों और अन्य भंडारणों में संग्रहित जल की मात्रा की जांच करना और उस उद्देश्य के लिए किसी भी अनुमोदित और प्रमाणित किए गए उपकरणों या विधियों को अपनाना।

13. प्राधिकरण के अभिलेख और उनका स्थान—(1) प्राधिकरण अपनी बैठकों और कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगा, नियमित लेखा रखेगा और एक उपयुक्त कार्यालय होगा जहां दस्तावेजों, रिकॉर्ड, खातों और गोजिंग आंकड़ों को उस समय पर और ऐसे विनियमों के अधीन जो प्राधिकरण निर्धारित कर सकता है, केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक पक्षकार राज्य या उनके प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के लिएमुक्त रूप से रखा जाएगा।

(2) इस प्रकार, संकलित अभिलेखों को मुख्यालय अर्थात पणजी, गोवा मेंउस तरीके से रखा जाएगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा तय किया जा सकता है।

14. प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट—(1) प्राधिकरण प्रत्येक पक्षकार राज्य को यथाशीघ्र, लेकिन प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर से पहले, पूर्ववर्ती वर्ष के प्राधिकरण के कार्यकलापों को शामिल करने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे उन्हें भेजेगा।

(2) प्राधिकरण प्रत्येक पक्षकार राज्य को उसके अनुरोध पर किसी भी समय उसके पास उपलब्ध किसी भी जानकारी को प्रदान कराएगा और हमेशा पक्षकार राज्यों और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को अपने रिकॉर्ड की पहुंच प्रदान करेगा।

15. अनुबंध और समझौते—प्राधिकरण, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के परिणाम के अधीन, ऐसे अनुबंधों और समझौतों को करेगा जो उसे प्रदत्त कार्यों या कर्तव्यों के पूर्ण करने और उचित निष्पादन के लिए आवश्यक और जरूरी हों।

16. वित्तीय उपबंध—(1) प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले सभी पूंजीगत और राजस्व व्यय गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों द्वारा समान अनुपात में वहन किए जाएंगे।

(2) प्राधिकरण के गठन पर, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र की राज्य सरकारें सबसे पहले प्राधिकरण की निधि के लिए समान अनुपात में पांच करोड़ रुपए का योगदान करेंगी और उसके बाद, प्राधिकरण के वार्षिक बजट को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण की मांग के अनुसार तिमाही आधार पर अग्रिम भुगतान करेंगी।

(3) प्राधिकरण सभी प्राप्तियों और संवितरणों का विस्तृत और सटीक लेखा रखेगा और प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद, खातों का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा और इसकी प्रतियां महालेखाकार और संबंधित पक्षकार राज्यों को भेजेगा।

(4) प्राधिकरण द्वारा रखे गए खातों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या उसके नामनिर्देशिती व्यक्ति द्वारा की जाएगी, जो प्राधिकरण के वार्षिक खातों पर की जाने वाली ऐसी टिप्पणी को प्रमाणित करेगा।

(5) प्राधिकरण, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की प्रतियां महालेखाकार, केन्द्रीय सरकार और संबंधित पक्षकार राज्यों को अग्रेषित करेगा और इसे अपनी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करेगा।

(6) प्राधिकरण, कोई अन्य कार्य करेगा जो उपपैरा (1) से (5) में निर्दिष्ट सभी या किसी भी कार्य के पूरक, प्रासंगिक या परिणामी हो।

17. प्राधिकरण के निर्णय— (1) न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय को कार्यान्वित करने के प्रयोजन हेतु पैरा 12 के अंतर्गत आने वाले मामलों सहित, लेकिन इन तक सीमित नहीं, सभी मामलों पर प्राधिकरण के निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित कार्यवाही के परिणाम के अधीन होंगे और सभी पक्षकार राज्यों पर बाध्यकारी होंगे।

(2) तीन पक्षकार राज्यों में पड़ने वाले नदी बेसिन में किसी भी परिसंपत्ति के प्रबंधन से संबंधित किसी भी विवाद और लागतों के बंटवारे के मामले में, प्राधिकरण का अध्यक्ष निर्णय लेगा, जो माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित कार्यवाही के परिणाम के अधीन होगा: परन्तु अध्यक्ष ऐसा सोचता है किइस मामले को निर्णय के लिए केंद्र सरकार को भेजा जा सकता है निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित कार्यवाही के परिणाम के अधीन होगा।

18. प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्माण कार्य— न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय में अन्यथा उपबंधित सीमा को छोड़कर (माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित कार्यवाही के परिणाम के अधीन) परियोजनाओं की योजना, निर्माण और अनुरक्षण प्रत्येक पक्षकार राज्य द्वारा अपनी एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा।

[फा. सं. आर-22014/2/2020-पेन रिव सेक्शन-एमओडब्लूआर]

आनंद मोहन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2023

S.O. 2238(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 4 of the Inter-State Water Disputes Act, 1956(33 of 1956) (hereinafter referred to as "the Act"), the Central Government had constituted the Mahadayi Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to as "the Tribunal")*vide* notification number S.O.2786(E), dated the 16thNovember, 2010, to adjudicate upon the water dispute regarding the inter-State river Mahadayi(also known in vernacular language as River Madei or RiverMhadei or River Mandovi, *etcetera*)and the river valley thereof among the States ofGoa, Karnataka and Maharashtra;

And whereas, the Tribunal investigated the matters referred to it and forwarded to the Central Government a report giving its decision under sub-section (2) of section 5 of the Act on the 14th August, 2018;

And whereas, the party Statesnamely, the State of Goa, the State of Karnataka and the State of Maharashtra have filed Special Leave Petition (Civil) Nos. 19312 of 2019, 33018 of 2018 and32517 of 2018, respectively,in the Hon'ble Supreme Court against the said report of the Tribunal;

And whereas, in Interlocutory Application No. 109720 of 2019 filed by the State of Karnataka in Special Leave Petition No. 33018 of 2018, the Hon'ble Supreme Court issueda direction to the Union of India to publish the award dated 14th August, 2018 of the Mahadayi Water Disputes Tribunal, which was allowed by the Hon'ble Supreme Court *vide*Order dated the 20th February, 2020(subject to the result of the pending proceedings);

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Act, the Central Government published the said award of the Tribunal *vide* notification No. S.O.888(E), dated 27th February, 2020;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6A of the Act, the Central Government hereby frames the scheme, *interalia*, to constitute the Mahadayi PRAWAH (Progressive River Authority for Welfare And Harmony) (hereinafter referred to as "the Authority") to give effect to the decisions of the Mahadayi Water Disputes Tribunal, dated the 14th August, 2018,namely:—

1. Short title and commencement.— (1) This Scheme may be called the Mahadayi Water Management Scheme, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Constitution of Authority.—** There shall be an Authority called as **Mahadayi PRAWAH**.

3. (1) The Authority shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued.

(2) The Authority shall consist of the following members, namely:—

(a) **Chairperson (full-time independent)**: To be appointed by the Central Government for a term not exceeding three years, amongst the serving officers—

(i) who is an engineer from the Central Water Engineering Service (CWES) cadre of the level of Higher Administrative Grade (HAG) or Member, Central Water Commission (CWC) in Level-15 in the pay matrix (₹1,82,200-2,24,100);and

(ii)is a senior and eminent engineer with wide experience in the field of water resources planning or hydrology or environmental issues or monitoring and regulation of water resources projects or schemes;

(b) **three (full-time independent)members**:To be appointed by the Central Government for a term not exceeding three years, amongst the serving officers, as mentioned below:

(i) **Member (Environmental Issues)**: An officer of Senior Administrative Grade (SAG) or Chief Engineer level post in Level-14 in the pay matrix (₹1,44,200-1,99,600);

(ii) **Member (Hydrology)**: An officer of Senior Administrative Grade (SAG) or Chief Engineer level post in Level-14 in the pay matrix (₹1,44,200-1,99,600);

(iii) **Member (Monitoring and Regulation)**: An officer of Senior Administrative Grade (SAG) or Chief Engineer level post in Level-14 in the pay matrix (₹1,44,200-1,99,600);

(c) **Three part-time members from the party States**: One representative of each of State Governments of Goa, Karnataka and Maharashtranot below the rank of Engineer-in-Chief or Chief Engineer or Additional Chief Engineer of Water Resources Department to be appointed by the respective State Government.

4. **Secretary of Authority.—** The Authority shall have a full-time Secretary,who shall be an officer of the rank of Superintending Engineer or Director in Level 13 in the pay matrix (₹1,23,100-2,15,900),to be appointed by the Central Government for a term of three years which may be further extendable for another two years and whoshall neither be a member of the Authority nor belong to any party State and shall not have any voting rights.

5. **Director (Finance) of Authority.—**The Authority shall have a full-time Director (Finance), who shall be an officer in Level 13 in the Pay Matrix (₹1,23,100-2,15,900), to be appointed by the Central Government for a term of three years and who shall neither be a member of the Authority nor belong to any party State and shall not have any voting rights.

6. **Quorum and voting**.—(1) Five members shall form the quorum and the concurrence of the majority shall be necessary for transaction of the business of the Authority, except such business, as the Authority may, from time to time, prescribe as routine.

(2) The Authority shall not prescribe, as routine, any business in which the interests of any two of the States are likely to be in conflict.

(3) In the transaction of routine business, three members shall form the quorum and in the absence of the Chairperson of the Authority, the senior independent member referred to in sub-paragraph(4) of paragraph 7 shall act as Chairperson at the meeting who shall have a deliberative vote, in the event of equality of votes, and a casting vote.

(4) Subject to sub-paragraph (1) to (3), the members shall have equal powers.

7. **Vacancy of members**.— (1) On a vacancy arising in the office of the any of four independent members, the Central Government shall appoint an officer having the respective qualifications specified in clauses (a) and (b) of sub-paragraph (2) of paragraph 3 to such vacant office.

(2) On a vacancy arising in the office of the three part-time members, the respective State Government by whom the member was appointed, shall appoint, a qualified officer not below the rank as specified in clause (c) of sub-paragraph (2) of paragraph 3to the vacant office.

(3) In case of illness or absence, for any cause whatsoever, of a member, the Central Government or the concerned State Government, by whom the member was appointed, shall appoint an officer having the qualifications

as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 3as an acting member and such acting member shall, while so acting, have all the powers and perform, all the duties and be entitled to the indemnities of the member in whose stead, acts.

(4) In the event of illness or absence of theChairperson of the Authority, the next senior independent member, appointed by the Central Government, and not the acting member, shall act as Chairperson at business meeting of the Authority or as the Chairperson of the Authority.

8. Disposal of business by Authority.— (1) Subject to the provisions contained in sub-paragraph(2), the Authority shall dispose of any matter before it, either by circulation or by holding a meeting: Provided that it shall be open to any member of the Authority, to require that a matter shall not be disposed of by circulation, but at a meeting.

(2) The Authority shall record its decision on the following matters by a resolution, at a meeting in which the Chairperson and all the members, includingthose from the party States, are present:—

(a) framing of rules of business;

(b) delegation of functions to a member or secretary or any official of the Authority;

(c) categorising any part of the business of the Authority as a formal or routine nature; and

(d) any other matter, which any of the three party States require that it shall be decided at a meeting where all the members from the party States are present.

(3) If any particular matter specified in sub-paragraph (2) is not disposed of at two successful meetings, owing to the absence of one or more members from the party States, it shall be disposed of as per the provisions of paragraph 6.

(4) The Chairperson of the Authority may invite representatives from Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water Commission, Universities or any other Central or State agency, as special invitees, to attend the Authority meetings or otherwise, in carrying out the functions specified under this Scheme.

(5) Subject to the foregoing provisions, the Authority shall frame its own rules for the conduct of its business.

(6) The Authority shall cause proper minutes or records of all its proceedings to be kept as a permanent record.

9. Indemnity of members.— No member, officer or employee of the Authority shall be liable for losses, injury or damages resulting from—

(a) action taken by such member, officer or employee in good faith and without malice under the apparent authority or the orders, even though such action is later determined to be unauthorised; or

(b) the neglect or wrongful act or omission of any other person, employed by the Authority and serving under such member, officer or employee, unless that member, officer or employee failed to exercise due care in the appointment of such other person or the supervision of his work.

10. Officers and staff of Authority.—(1) The Authority may, from time to time, appoint or employ such and so many officers and staff, as it thinks fit, and remove or dismiss them, under the rules and regulations applicable to the appointment, removal and dismissal of Central Government employees.

(2) The persons who are employed in the services of the party States may be appointed or employed by the Authority in such proportions as the Authority may deem fit andthe Authority shall make arrangement with the concerned State Governments to spare the services of the persons employed in such State Governments, for whole time employment with the Authority, or for the performance of any work or services for the Authority.

(3) The Authority may also make direct recruitment of Group 'A' [upto the level 13post in the pay matrix(₹1,23,100-2,15,900)], Group 'B' and Group 'C' posts or obtain the same from the Central Government as considered necessary, whoshall, as such, be subjected to the sole control of the Authority and their scales of pay and other service conditions shall be as applicable to the Central Government employees or State Government employees, as the case may be.

(4) The Authority shall, in accordance with the extant rules or instructionsof the Central Government, make regulations to regulate the conditions of service of all such officers and employees in respect of the residential accommodation, house rent allowance, travelling allowance, daily allowance, conveyance allowance and medical reimbursement, *et cetera*.

11. Administrative and field organisationcosts.— (1) The headquarters of the Authority shall be at Panaji, Goa.

(2) The Central Government shall make an initial contribution of five crore rupees for the setting up and functioning of the Authority, which shall be later reimbursed to the Central Government by the Authority after contributions are received from the party States.

(3) All expenses of the Authority (including salary and other expenses) shall be borne by State Governments of Goa, Karnataka and Maharashtra in equal shares.

(4) The expenses pertaining to a member representing a State shall be borne by the concerned State Government.

(5) The cost of maintaining, operation and controlling of gauging and other hydrological systems or stations, for each State, and telecommunication systems for communicating the data, *et cetera*shall be borne by the concerned State Governments.

(6) The cost of construction and maintenance of the storages, power installations, diversion works, headworks,canal networks *etcetera*shall be borne wholly by the State Government, in whose territory the worksare located.

12. Powers and functions of Authority.—(1) The Authority shall exercise such powers and perform such functions to do any or all things necessary, sufficient and expedient for securing compliance and implementation of the award of the Mahadayi Water Disputes Tribunal, subject to the result of pending proceedings in Hon'ble Supreme Court, with respect to—

(a) storage, apportionment, regulation and control of the waters of Mahadayi river;

(b) regulating releases from the Mahadayi Basin, as directed by the Mahadayi Water Disputes Tribunal;

(c) any other matter, incidental to the carrying out and implementation of the order or direction of the Mahadayi Water Disputes Tribunal.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing functions, the Authority shall, inter alia, —

(i) make use of the data of sites, already established or as may be established by the Central Water Commission or by the three State Governments or cause to be established either by itself or through some approved Agency;

(ii) records of the flow of the Mahadayi river including the diversion of Mahadayi waters to other basins, and diversion of water from other rivers to Mahadayi basin, at all stations, considered necessary by it;

(iii) collect from all the three States concerned, all water related data, particularly the data for the areas irrigated by the Mahadayi waters in each season, data in respect of withdrawals for irrigation, domestic, municipal, industrial or any other purpose and of the water going down the river from various projects or schemes;

(iv) determine the volume of water flowing in the river Mahadayi and its tributaries in a water year, that is, 1stJune to 31stMay, and prepare the Water Year Books; and

(v) check from time to time the volume of water stored by each State in its reservoirs and other storages and shall, for that purpose, adopt any approved and tested devices or methods.

13. Records of Authority and their location.—(1) The Authority shall keep a record of its meetings and proceedings, maintain regular accounts, and have a suitable office where documents, records, accounts and gauging data shall be kept open for inspection by the Central Government and Government of each of the party States or their representatives at such time and under such regulations as the Authority may determine.

(2) The records so compiled shall be kept in headquarters,that is, Panaji, Goa, in the manner as may be decided by the Authority.

14. Annual Report of Authority.—(1) The Authority shall prepare and transmit to each of the party States, as early as possible, but not later than 30thSeptember of each year, an Annual Report covering the activities of the Authority for the preceding year.

(2) The Authority shall make available to each party State on its request any information within its possession any time and always provide access to its records to the party States and their authorised representatives.

15. Contracts and agreements.— The Authority shall, subject to the result of pending proceedings before the Hon'ble Supreme Court, enter into such contracts and agreements as may be necessary and essential for the full and proper performance of the functions and duties conferred or imposed on it.

16. Financial provision.—(1) All the capital and revenue expenditure required to be incurred by the Authority shall be borne by the State Governments of Goa, Karnataka and Maharashtra in equal ratio.

(2) On the constitution of the Authority, the State Governments of Goa, Karnataka, and Maharashtra shall contribute five crore rupees in equal ratiotowards the fund of the Authority in the first instance, and

later on make advance payments on a quarterly basis as demanded by the Authority keeping in view the annual budget of the Authority.

(3) The Authority shall maintain detailed and accurate accounts of all receipts and disbursements and shall after the closing of each financial year, prepare an annual statement of accounts and send copies thereof to the Accountant General and to the concerned party States.

(4) The accounts maintained by the Authority shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India or his nominee, who shall certify, subject to such observation as he may wish to make on the annual accounts of the Authority.

(5) The Authority shall forward the copies of the report of the Comptroller and Auditor General of India to the Accountant General, the Central Government and the concerned party States and shall include the same in its Annual Report.

(6) The Authority shall perform any other function which is supplemental, incidental or consequential to all or any of the functions specified in sub-paragraphs (1) to (5).

17. Decisions of Authority.—(1) The decisions of the Authority on all matters,including but not limited to the matters covered under paragraph 12, for the purposes of implementing the award of the Tribunal, shall besubject to the result of pending proceedings in Hon'ble Supreme Court andshall be binding on all the party States.

(2) In case of any dispute pertaining to the management of any asset in the river basin falling in three party States and on issues regarding sharing of costs, the Chairperson of the Authority shall take a decision, which shall be subject to the result of pending proceedings in the Hon'ble Supreme Court: Provided that if the Chairperson considers so, the matter may be referred to the Central Government for decision thereon which shall be subject to the result of pending proceedings in the Hon'ble Supreme Court.

18. Constructions outside jurisdiction of Authority.— Save and except to the extentotherwise provided in the award of the Tribunal (subject to the result of pending proceedings in Hon'ble Supreme Court), the planning, construction and maintenance of the projects will be carried out by each party States through its own agencies.

[F. No. R-22014/2/2020-Pen Riv Section-MOWR]

ANAND MOHAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.05.22 21:30:19 +05'30'